संख्या–913 /XV-1/17/1(06)/16

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 17 जुलाई, 2017

विषयः पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्र०के०स०) योजनान्तर्गत बजट अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1526/नि0–5/एक(6)सांख्यकीय/बजट/2017–18 17 जून, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 117.14 लाख (₹ एक करोड़ सत्रह लाख चौदह हजार मात्र) के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पुनर्वैध की गयी केन्द्रांश की धनराशि ₹6.05 लाख की धनराशि व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि ₹ हज़ार में)

क्र० सं०	मद नाम	कुल बजट प्राविधान	स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि
अधिष्ठान मद			
1	01–वेतन	9833	520
2	03–महगांई भत्ता	590	22
3	04–यात्रा भत्ता	192	00
4	05–स्थानान्तरण यात्रा	01	00
5	06–अन्य भत्ता	688	48
6	44–प्रशिक्षण व्यय	50	15
कुल योग			605

(1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फाँट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–6 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान,अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार,उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाय।

(5) स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाय जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन–00–113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय– 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0102–पशुपालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजनान्तर्गत सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–913 (1)/XV-1/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव